प्रेसनोट
सराहनीय कार्य जनपद एटा

एटा– थाना साइबर क्राइम को मिली सफलता, सिम पोर्ट करने के नाम पर ठगी करने वाला युवक गिरफ्तार।

जनपद में सुदृढ़ कानून व्यवस्था तथा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के परिदृश्य वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री राजेश कुमार सिंह के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक एटा श्री धनंजय सिंह कुशवाहा व अपर पुलिस अधीक्षक अपराध एटा श्री योगेंद्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा एटा मिरहची रोड रिद्धी धर्मकाटा के पास से मुखबिर की सूचना पर सिम पोर्ट करने के बहाने से ठगी करने वाले अभियुक्त सौरव पुत्र रामसनेही निवासी गढनपुर थाना पिलुआ जनपद एटा उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थानास्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता–

1. सौरव पुत्र रामसनेही निवासी गढनपुर थाना पिलुआ जनपद एटा

आपराधिक इतिहास–

1. मुअस0– 21/24 धारा 419, 420 भादवि0 व 66 डी आई टी एक्ट थाना पिलुआ जनपद एटा
2. मुअस0 33/24 धारा 420 भादवि0 व 66 डी आईटी एक्ट थाना मिरहची जनपद एटा।

बरामदगी–

1. 01 टैबलेट,
2. 01 स्वैप मशीन (फीनो पेमेन्ट बैंक)
3. एक फिंगर स्कैनर मशीन,
4. 03 एन्ड्रायड मोबाइल फोन

5. 03 ई श्रम कार्ड
6. 04 एटीएम कार्ड
7. एक एटीएम क्लोन (सफेद रंग)
8. 28 नये सिम कार्ड
9. 1010 रुपये नकद

मुख्य बिन्दु–

1. अभियुक्त वोडाफोन व एयरटैल कम्पनी की सिम पोर्ट करने का काम करता है।
2. अभियुक्त मौका मिलने पर गांव के भोले भाले लोगो को सिम पोर्ट करने के नाम पर ब्लैन्क सिम दे देता है तथा उनका सिम निकाल कर अपने पास रख लेता है।
3. अभियुक्त मोबाइल से आधार कार्ड की फोटो भी खीच लेता है।
4. अभियुक्त नोएडा में किराये पर रहता है तथा बाद में समय मिलने पर सिम एक्टीवेट करके सिम धारक के आधार कार्ड से यू0पी0आई0 आईडी बनाकर उनके खातो से भिन्न भिन्न स्थानो पर बने जनसेवा केन्द्र से कैश निकाल लेता है।
5. अभियुक एटीएम पर खडे लोगो से एटीएम बदलकर उन्हें दूसरे एटीएम भी देता है।
6. अभियुक्त द्वारा दिनांक 18.12.2023 को ग्राम कुटैनामाफी थाना मिरहची एटा में कैम्प लगाकर गांव के ही ओमप्रकाश पुत्र भूदेव सिह की सिम बदलकर 270,000 रुपये भिन्न भिन्न खातो में ट्रान्सफर करने की बात स्वीकार की गई है।
7. दिनांक 27.11.2023 को अभियुक्त द्वारा थाना पिलुआ क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के साथ किसान बीमा योजना के नाम पर 70,000 रुपये की ठगी करने की बात स्वीकार की गई है।

गिरफ्तार करने वाली टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर दयानारायण त्रिपाठी
2. उ0नि0 श्री दीक्षित कुमार
3. हे0का0 रामवीर सिंह,
4. का0 अजयपाल सिंह
5. का0 अर्जुन सिंह
6. का0 राजेश कुमार।